## न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी :: श्री सुधीर कुमार शर्मा, आई.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 73/2018**

| प्रार्थी :– | बनाम | अप्रार्थी:– |
|---|---|---|
| सरकार जरिये तहसीलदार रोहट | | 1. चेनाराम पुत्र लादाराम<br>2. उकड़ाराम पुत्र लादाराम जातिगण बावरी, निवासीगण रामपुरा तहसील रोहट जिला पाली (राज.) |

**प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :–
1. श्री खीमाराम, सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी अनुपस्थित

**–:: आदेश ::–**

**दिनांक : 30.07.2018**

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में विरूद्ध अप्रार्थीगण के नाम अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/18 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. के नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने एवं उसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण को निरस्त कर भूमि पुनः गै.मु. नदी दर्ज किए जाने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट जिला पाली खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से के ख.न. 285/18 रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। जिसका आवंटन लादा पुत्र वना बावरी के पक्ष में आवंटन कमेटी द्वारा किस्म परिवर्तन गै.मु. नदी से बा.सो. कर किया गया है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। जिसके नए खसरा नम्बर 285/18 है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 09.09.1976 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 375 दिनांक 24.06.1989 को भी निरस्त करवाकर पुनः गैर मुमकिन नदी दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रामपुरा, पटवार हल्का लालकी तहसील रोहट के खसरा नम्बर 285 किस्म गै.मु. नदी में से ख.न. 285/18 किस्म गै.मु. नदी में से रकबा 10 बीघा किस्म बा.सो. जो गैर मुमकिन नदी दर्ज थी। लादा पुत्र वना बावरी निवासी तिगरा (रामपुरा) द्वारा फॉर्म 14 राज.

जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

सीलिंग कृषि नियम 1973 के तहत रूपा पुत्र जोराराम पटेल से अवाप्तसुदा भूमि खसरा नम्बर 366 में से 10 बीघा बी. iii भूमि हेतु आवेदन किया था। पटवार हल्का की रिपोर्ट के बाद भू आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नम्बर 285 गै.मु. नदी में 10 बीघा भूमी की किस्म परिवर्तन कर आवंटित कर दी। जैर प्रार्थना पत्र आराजी गै.मु. नदी होने से उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित श्रेणी की होने से न तो आवंटित की जा सकती है न ही किस्म परिवर्तन की जा सकती है। उक्त आवंटन की पालना में नामान्तरकरण संख्या 232 दिनांक 09.09.1976 स्वीकृत किया गया जिसके द्वारा लादा पुत्र वना को गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं लादा के फौत हो जाने से एवं दस वर्ष पूर्ण हो जाने से लादा के वारिशान चैना, उकड़ा, समीया पुत्रगण लादा एवं मोरकी बेवा लादा कौम बावरी के नाम नायब तहसीलदार रोहट द्वारा नामान्तरकरण संख्या 375 दिनांक 24.06.1989 के द्वारा खातेदार दर्ज किया गया। जमाबन्दी संवत् 2064–2067 एवं 2068–2071 में इनका नाम दर्ज है। लेकिन जमाबन्दी संवत् 2072–2075 में समिया का नाम दर्ज नहीं है इसका कारण स्पष्ट नहीं है। लेकिन प्रार्थी तहसीलदार द्वारा जैर प्रार्थना पत्र में समिया पुत्र लादा एवं मोरकी बेवा लादा का नाम अप्रार्थी पक्षकार पहले अंकित किया फिर काट दिए गए तथा बाद में प्रतिहस्ताक्षर किए जाकर रेफरेन्स न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया, इस प्रकार तहसीलदार द्वारा क्यों किया गया स्पष्ट नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा ऐसी कार्यवाही किया जाना स्पष्टतः लापरवाही पूर्ण किया गया ज्ञात कृत्य होने से उसके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही किए जाने के आदेश दिए जाते है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल में रेफरेंस किया जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, रोहट को निर्णय की प्रति नए सिरे से समस्त पूर्तियों को करते हुए 15 दिवसों के भीतर प्रार्थना पत्र पुनः पेश करने हेतु प्रेषित किया जावे। प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को श्री ताराचंद प्रजापत, तहसीलदार रोहट के विरूद्ध लापरवाही पूर्ण किए गए उपरोक्त कृत्य के लिए विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति संस्थापन शाखा, कलेक्ट्रेट पाली को प्रेषित की जावे। पत्रावली इस न्यायालय से नम्बर से कम हो।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)